

नए शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिये [शिक्षा का अधिकार \(RTE\) अधिनियम 2009](#) के तहत नजिी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता पर लिया है।

मुख्य बटु:

- सूत्रों के अनुसार, राज्य के 31,857 नजिी स्कूलों में प्रवेश के लिये **3.08 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन कया था।**
 - नजिी स्कूलों में **25% सीटें समाज के कमज़ोर वर्ग** के छात्रों से भरी जाएंगी।
- **प्रारंभिक शिक्षा नदशलालय** ने स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा 1 में RTE प्रवेश हेतु दो श्रेणियों के लिये आयु सीमा तय करते हुए एक प्रावधान कया है।
 - तीन से चार वर्ष की आयु के बच्चों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दया जाता है और छह से सात वर्ष के बीच के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश पाने के पात्र होते हैं।
- राज्य में बड़ी संख्या में **नजिी स्कूलों** ने प्री-प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर **चतता व्यक्त की है** क्योंकि इस श्रेणी को वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा कसी छात्र को कक्षा 1 में पदोन्नत होने तक तीन वर्ष की फीस के भुगतान के लिये कसी स्पष्ट दशा-नरदेश के बना जोडा गया था।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत वर्ष 2009 में बच्चों के लिये नःशुल्क एवं अनवार्य शिक्षा का प्रावधान कया गया तथा इसे **अनुच्छेद 21-A** के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू कया गया।
- RTE अधिनियम का उद्देश्य **6 से 14 वर्ष की आयु** के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।
- धारा 12 (1) (C) में कहा गया है कि गैर-अल्पसंख्यक नजिी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमिके बच्चों के लिये प्रवेश सत्र ग्रेड में कम- से-कम **25% सीटें आरक्षण करें।**
- यह गैर-प्रवेशति बच्चे को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का भी प्रावधान करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वत्तीय एवं अन्य ज़मिमेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है।
 - भारतीय संवधान में शिक्षा समवर्ती सूची का वषिय है और केंद्र व राज्य दोनों इस वषिय पर कानून बना सकते हैं।
- यह छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR), भवन और बुनयादी ढाँचा, स्कूल-कार्य दविस, शिक्षकों के लिये कार्यावधि से संबंधति **मानदंडों तथा मानकों** का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम में गैर-शैक्षणिक कार्यों जैसे- स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य वधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है।
- यह अपेक्षति प्रवषिट और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नयुक्तिका प्रावधान करता है।
- यह नमिनलखिति का नषिध करता है:
 - शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
 - बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिग प्रक्रया।
 - प्रत व्यक्त शुल्क।
 - शिक्षकों द्वारा नजिी ट्यूशन।
 - बना मान्यता प्राप्त वदियालय।
- यह बच्चे को उसके अनुकूल और बाल केंद्रति शिक्षा अधगिम के माध्यम से भय, आघात एवं दुश्चतता से मुक्त बनाने पर केंद्रति है।

